XIV-Form No. 563.

आदेश की कम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

29/11

न्यायालय समाहर्त्ता, पूर्णियाँ
राजस्व पुनरीक्षण वाद संख्या–176/2008 (वासगीत पर्चा)
धारा 21 B.P.P.H.T. Act अन्तर्गत

राजेन्द्र प्रसाद साहा, पिता–स्व0 जीवछ लाल साह, साकिन–मझुआ प्रेम राज, थाना–सरसी, जिला–पूर्णियाँ.......................... आवेदक

बनाम्

1. बिहार सरकार
2. रामचन्द्र साह, पिता–स्व0 थीरई साह, साकिन–सरसी, थाना–सरसी, जिला–पूर्णियाँ .... विपक्षी

आ दे श

यह राजस्व पुनरीक्षण वाद अंचलाधिकारी, धमदाहा के द्वारा वासगीत पर्चा अभिलेख संख्या–82/2007–08 में दिनांक 12.02.2008 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है।

इसमें आवेदक का कथन है कि वासगीत पर्चा बनने का मुझे कोई जानकारी नहीं थी। इस वाद में मुझे नोटिश निर्गत नहीं हुआ है। नवम्बर, 2008 में जब विपक्षी संख्या–2 द्वारा कहा गया कि मुझे प्रश्नगत जमीन का वासगीत पर्चा प्राप्त है, तब जानकारी हुई। तत्पश्चात अभिलेख संख्या–82/2007–08 का नकल प्राप्त कर वाद दायर किया गया है।

विपक्षी की ओर से लिखित बहस दाखिल किया गया, जिसमें विपक्षी का कथन है कि इस रिभीजन आवेदन को खारिज होना चाहिए। मुझे उक्त वासगीत पर्चावाली जमीन के अतिरिक्त कोई अन्य जमीन नहीं है। प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी बहुत दिनों से परिवार के साथ रह रहे है। आवेदक के पिता सेवा निवृत दारोगा थे । वे बड़ा पक्का मकान में व्यवसाय करते हैं। विपक्षी दैनिक मजदूरी करता है। आवेदक के पास बहुत जमीन है। विपक्षी का मकान खेसरा संख्या–1565, रकवा–0.04 डिसमिल पर है।

इस संबंध में अंचलाधिकारी, धमदाहा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। अंचलाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित है कि मौजा–सरसी, थाना नं0–106, खाता संख्या–321, खेसरा संख्या–1565, रकवा–0.04 डिसमिल जमीन का पर्चा निर्गत है। जाँचोपरान्त पाया गया कि पर्चाधारी का रकवा 0.01 डिसमिल जमीन पर ही आवासीय मकान मय सहन दखल है। पर्चाधारी का नाम जमाबन्दी नं0– 1893 में दर्ज है, जिस का लगान रसीद 2008–09 तक भुगतान है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 08.07.2011 को दोनो पक्षों का सुना गया। आवेदक के द्वारा कहा गया कि निम्न न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2008 को प्राप्त आवेदन कर तथा जल्दीबाजी में दिनांक 12.02.2008 को आदेश निर्गत कर दिया गया। स्थलीय जाँच एवं अन्य प्रकिया का पालन सही ढंग से नहीं किया गया तथा पर्चा में वर्णित चौहद्दी का विवरण भी गलत है। इस संबंध में विपक्षी के द्वारा कहा गया कि आवेदक के द्वारा सुनवाई

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी सहित
1	2	3

के क्रम में कही गई बात उनके आवेदन में अंकित नहीं है। उनके पिता के नाम उपलब्ध 04 डिसमिल जमीन में पाँच भाइयों के दखल–कब्जे में है। उनके द्वारा विवादित जमीन में इन्दिरा आवास निर्मित कर रहने की बात कही गई। उनके द्वारा यह भी बताया गया कि निम्न न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रकिया का पालन कर दखल–कब्जा के आधार पर ही पर्चा प्राप्त हुआ है एवं इस आलोक में इन्दिरा आवास भी स्वीकृत हुआ है।

दिनांक 02.09.2011 को पुनः सुनवाई हेतु रखा गया।

अतः उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत है एवं इस पर किसी तरह की हस्तक्षेप करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। इस निर्णय के साथ आवेदक का आवेदन को खारीज करते हुए वाद समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ